टीएचडीसी इंण्डिया लिमिटेड
{ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपकम }
THDC INDIA LIMITED
(A Joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
Bhagirathi Bhawan, By- pass Road, Pragatipuram
Rishikesh-249201

अनुलग्नक - "A"

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 **के पैरा** 26(6) **के स्थान पर अनुमति प्रमाणपत्र वैधानिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि में अंशदान हेतु**

यह प्रमाणित किया जाता है कि **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड**, जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में स्थापना कोड संख्या **UK/32503** के अंतर्गत **12.07.1991** से पंजीकृत है तथा यह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, देहरादून, उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है।

यह प्रमाणपत्र ईपीएफओ परिपत्र संख्या **Pension/2022/58259/16541 दिनांक 20.02.2023** के अनुसार कर्मचारियों को जारी किया जा रहा है, ताकि वे ईपीएफओ वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन संयुक्त विकल्प प्रपत्र प्रस्तुत कर सकें। उक्त परिपत्र के पैरा 5(vii) के अनुसार कर्मचारियों को प्रचलित वेतन सीमा **₹5000**/- से अधिक वेतन पर नियोक्ता के अंशदान के भविष्य निधि में जमा होने का प्रमाण तथा पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प का नियोक्ता द्वारा सत्यापित प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(2) तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 27A के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। यह छूट क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश संख्या **EPF/RO/UK/DDN/PF EXEMPTION/51256 दिनांक 14.12.2011** के माध्यम से प्रदान की गई थी, जो स्थापना कोड संख्या **UK/32503** के अंतर्गत 12.07.1991 से प्रभावी है।

इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फाइल संख्या **S-35015/51/2014-SS.II दिनांक 22 जुलाई 2014** के माध्यम से भी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को कोड संख्या UK/32503 के अंतर्गत पैरा 27A के अनुसार छूट प्रदान की गई है।

अधिनियम की धारा 17(1)(a) तथा ईपीएफ योजना के पैरा 27A के परिशिष्ट "A" की शर्त संख्या 10 एवं 11 के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत की जाती है:

(क)

जिस स्थापना पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम लागू होता है, उसे उपयुक्त सरकार द्वारा ईपीएफ योजना से छूट प्रदान की जा सकती है, यदि उपयुक्त सरकार की राय में उस स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंशदान की दरें अधिनियम की धारा 6 में निर्दिष्ट दरों से कम अनुकूल नहीं हैं तथा कर्मचारियों को अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त हैं, जो अधिनियम अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से कम अनुकूल नहीं हैं।

(ख)

यद्यपि छूट प्राप्त स्थापना के कर्मचारी ट्रस्ट के नियमों के अधीन रहते हैं, तथापि ईपीएफ योजना में किए गए ऐसे सभी संशोधन जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हों, ट्रस्ट के नियमों में औपचारिक संशोधन होने तक स्वतः लागू माने जाएंगे। साथ ही, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना ट्रस्ट के नियमों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

आगे (पृष्ठ-2)

टीएचडीसी इंण्डिया लिमिटेड
{ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपकम }
THDC INDIA LIMITED
(A Joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
Bhagirathi Bhawan, By- pass Road, Pragatipuram
Rishikesh-249201

कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ प्रदान करने हेतु टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि **12.07.1991** से लागू है। यह निधि आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग "A" के अंतर्गत **14.02.1990** से मान्यता प्राप्त भविष्य निधि भी है। इसकी मान्यता आयकर विभाग के पत्र संख्या **CIT.VI/318/PF/90-91/689 दिनांक 25.06.1990** द्वारा प्रदान की गई थी।

यह निधि न्यासी मंडल (Board of Trustees) द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें नियोक्ता एवं कर्मचारियों दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, टीएचडीसीआईएल को ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प हेतु पृथक अनुमति प्रमाण प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

टीएचडीसीआईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार:

नियम 10(a) – सदस्य अंशदान

प्रत्येक सदस्य अपने मासिक मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा यदि लागू हो तो रिटेनिंग भत्ते का **12%** प्रतिमाह निधि में जमा करेगा। नियोक्ता द्वारा भी समान राशि का अंशदान किया जाएगा।

नियम 11(a) – नियोक्ता अंशदान

नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर ट्रस्टी को कर्मचारियों के अंशदान के बराबर राशि भविष्य निधि में जमा करेगा।

उपरोक्त के आधार पर टीएचडीसीआईएल कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 26(6) का पालन कर रहा है। ट्रस्ट के नियम 10 एवं 11 के अनुसार वास्तविक वेतन/मजदूरी पर अंशदान हेतु आवश्यक अनुमति पहले से ही ट्रस्ट के नियमों के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है।

यह भी स्पष्ट है कि संस्था (नियोक्ता) वास्तविक वेतन पर अंशदान कर रही है तथा आवश्यक प्रशासनिक/निरीक्षण शुल्क भी ईपीएफओ में नियमित रूप से जमा कर रही है। ट्रस्ट के खातों का समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा अंकेक्षण (Audit) भी किया जाता रहा है। अतः इन परिस्थितियों में ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन माना जाता है।

अतः टीएचडीसीआईएल के कर्मचारी ईपीएफओ परिपत्र संख्या **Pension/2022/56259/16541 दिनांक 20.02.2023** के पैरा 5(i) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अर्थात वे ₹5000/- की प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि में अंशदान कर रहे हैं तथा पूर्ववर्ती पैरा 11(3) एवं वर्तमान पैरा 11(4) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं।

यह प्रमाणपत्र कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर अपना विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने हेतु जारी किया जा रहा है, जिसे सत्यापन के उपरांत टीएचडीसीआईएल द्वारा ईपीएफओ को अग्रेषित किया जाएगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से

आई. टिग्गा
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश
दिनांक: 29.03.2023